

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2026

विषय:-जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकसित किये गये मोबाइल ऐप "जल सारथी" का जनपद एवं ग्राम स्तर पर शत-प्रतिशत डाउनलोड कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection - FHTC) के माध्यम से सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है।

2- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण योजनाओं का प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance), पेयजल गुणवत्ता की सतत निगरानी करने, पेयजल की महत्ता से जन सामान्य को परिचित कराते हुए उसका समुचित उपयोग, पेयजल की योजनाओं में जनसहभागिता को सुदृढ़ बनाने, योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने, इस हेतु सूचना के पारदर्शी आदान-प्रदान तथा ग्राम स्तर तक वास्तविक समय (Real Time) पर सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "जल सारथी" मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवाओं, सूचनाओं एवं अनुश्रवण व्यवस्थाओं को एकीकृत करते हुए राज्य, जनपद/जिला प्रशासन, कार्यदायी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत स्तर के हितधारकों के मध्य एक प्रभावी डिजिटल सेतु के रूप में कार्य करता है।

3- "जल सारथी" मोबाइल ऐप में निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं:-

1. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर जल जीवन मिशन की योजनाओं की राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तर पर अद्यतन स्थिति एवं बहु-स्तरीय डैशबोर्ड (Multi-Level Dashboard) का अवलोकन किया जा सकता है।
2. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर ग्रामवार पेयजल योजनाओं, कार्यदायी संस्था, जलापूर्ति की स्थिति, निर्माण प्रगति, संचालन एवं अनुरक्षण तथा भौतिक प्रगति संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

3. ऐप पर जल गुणवत्ता परीक्षण से सम्बन्धित सूचना, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट (FTK) की गतिविधियों, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों एवं संबंधित सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध है।
 4. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर पाइप पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन क्षति, अनियमित जलापूर्ति, तोड़ी गयी सड़कों का पुनर्स्थापन की सूचना उपलब्ध है।
 5. "जल सारथी" मोबाइल ऐप के माध्यम से पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित ऑनलाइन शिकायतों की जा सकती हैं उनकी मॉनीटरिंग की जा सकती है तथा इस सम्बन्ध में सुझावों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा उनकी कार्यवाही की स्थिति का अवलोकन/अनुश्रवण किया जा सकता है।
 6. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर ग्राम पंचायत स्तर पर योजना की प्रगति, जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC), एफ०टी०के० प्रशिक्षित महिलाओं, ग्राम प्रधान तथा अन्य संबंधित सभी हितधारकों का विवरण उपलब्ध है।
 7. प्रश्नगत ऐप के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) तथा आई०एस०ए० (ISA) गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन किया जा सकता है जिसके आधार पर जनजागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है।
 8. विभागीय अधिकारियों के संपर्क विवरण, योजनाओं की प्रगति तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं/विवरण सहज रूप से उपलब्ध हैं।
- 4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर "जल सारथी" मोबाइल ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी उपयोग को विशेष अभियान के रूप में संचालित किया जाए। इस हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जिला पंचायत राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक ग्राम में निम्नलिखित हितधारकों के मोबाइल फोन पर "जल सारथी" मोबाइल ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल कराया जाना सुनिश्चित करें —
1. ग्राम प्रधान।
 2. ग्राम सचिव।
 3. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के सदस्य।
 4. एफ०टी०के० (FTK) प्रशिक्षित महिलाएँ।
 5. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ।
 6. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक।
 7. लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि।
- 5- उपर्युक्त सभी हितधारकों/जनप्रतिनिधियों को ऐप की प्रमुख सुविधाओं, उपयोगिता एवं कार्यप्रणाली से भली-भांति अवगत कराया जाए जिससे वे अपने ग्राम की पेयजल व्यवस्था, जल गुणवत्ता, संचालन एवं अनुरक्षण, शिकायत निस्तारण, योजनाओं की प्रगति एवं अन्य संबंधित

सूचनाओं का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए समुदाय आधारित अनुश्रवण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सके।

6- कृपया जनपद स्तर तथा DWSM की बैठक में इसकी नियमित समीक्षा कराये जिससे सभी लक्षित हित धारकों के मोबाइल फोन पर "जल सारथी" मोबाइल ऐप निर्धारित समय सीमा के भीतर डाउनलोड होकर उसका प्रभावी उपयोग प्रारंभ हो सके, जिससे ग्रामीण पेयजल योजनाओं से संबंधित सेवाओं की अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके तथा इसकी पहुँच (Outreach) ग्राम स्तर पर प्रभावी रूप से बढ़ाई जा सके।

7- उक्त 'जल सारथी' मोबाइल ऐप एनड्रायड एवं आईओएस दोनों प्रकार के ऑपरेशनल सिस्टम पर प्लेस्टोर/ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

उक्त जल सारथी मोबाइल ऐप नीचे दिये गए लिंक अथवा QR Code से भी डाउनलोड किया जा सकता है-

Play Store Link : <https://play.google.com/store/apps/details?id=>

App Store Link : <https://apps.apple.com/in/app/jal-sarathi/id6760382141>

QR Code (Jal Sarthi App For Android)

QR Code (Jal Sarthi App For IOS)



भवदीय
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 16-07-2026
14:54:40

(अनुराग श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2026/1532(1)/छिहत्तर-1-2026(2027542), तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMRISH KUMAR SINGH
Date: 16-07-2026
15:00:52

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।